न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

(1) Jodhpur 2021-129 (GCSM2021-35) Amar Khatun Vs Ramat etc

अमर खातू पुत्री मूमल जाति मुसलमान
निवासी ग्राम कानसिंह की सीड
तहसील बाप, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. रामत पत्नी मीर मोहम्मद पुत्री ईस्माईल
   जाति मुसलमान, निवासी कानसिंह की सीड
   हाल निवासी ग्राम घंटियाली, तहसील पोकरण
   जिला जैसलमेर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बाप,
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 15 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 71/2016 रामत बनाम तहसीलदार बाप

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री मनोहरसिंह राठौड, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

(2) Jodhpur 2022-003 (GCSM2022-13) Meer Mohammd Vs Ramat etc.

मीर मोहम्मद पुत्र बचाये खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम घंटियाली, तहसील पोकरण
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

राजस्व अपील प्राधिकारी

म

1. रामत पत्नी मीर मोहम्मद पुत्री इस्माईल
   जाति मुसलमान, निवासी कानसिंह की सीड
   हाल निवासी ग्राम घंटियाली, तहसील पोकरण
   जिला जैसलमेर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बाप,
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 15 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 71/2016 रामत बनाम तहसीलदार बाप

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री मनोहरसिंह राठौड, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 14 दिसम्बर, 2022

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2016 रामत बनाम तहसीलदार बाप में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य दोनों अपीलें अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की है। इन दोनों अपीलों से संबंधित वादग्रस्त आराजी, अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी आदि एक समान होने के कारण दोनों पक्षों की सहमति से इन दोनों अपीलों को समेकित किया जाकर इनका निस्तारण एक साथ इस एक ही निर्णय से किया

राजस्व अपील प्राधिकारी

जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली में संलग्न की जावे।

दोनों अपीलों के साथ अपीलाण्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किये गये। एक अन्य प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। इनके अलावा अपील संख्या **Jodhpur 2022-003 (GCSM2022-13) Meer Mohammd Vs Ramat etc.** के साथ एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील के साथ पेश करने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप के समक्ष वादिनी-रेस्पो. संख्या एक रामत ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम कानसिंह की सीड स्थित आराजी खसरा संख्या 296 रकबा 711 बीघा 05 बिस्वा के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11 अप्रेल 2016 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या दो को तलब किया गया। दिनांक 08 फरवरी 2017 को प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या दो द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाबदावा पेश कर दावा स्वीकार किया जाना उचित होना जाहिर किया। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 मई 2018 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपीलें पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने बहस में जाहिर किया कि वादिनी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में मूमल के वारिसान को पक्षकार ही नहीं बनाया गया, जबकि अपीलाण्ट मुमल की जायन्दा पुत्री है। मूमल की जायन्दा पुत्री होने के कारण वादग्रस्त आराजी में विरासतन हकदार होने से अपीलाण्ट भी वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

इसी प्रकार अपील संख्या **Jodhpur 2022-003 (GCSM2022-13) Meer Mohammd Vs Ramat etc.** के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि मूमल की जायन्दा पुत्री जमाली अपीलाण्ट मीर मोहम्मद की माता होने के कारण वादग्रस्त आराजी में विरासतन हकदार होने से अपीलाण्ट भी वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में मूमल अथवा उसके वारिसान पक्षकार नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में वाद की कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत अपीलाण्ट को समुचित समय में जानकारी नहीं हो पायी। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जावे।

अपील संख्या **Jodhpur 2022-003 (GCSM2022-13) Meer Mohammd Vs Ramat etc.** के साथ अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि

पेश करने की अनिवार्यता में शिथिलता हेतु प्रस्तुत प्रार्थनपत्र के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष एक अन्य अपील अमरखातू द्वारा पूर्व में पेश की हुई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब हो चुका है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में वाद की पत्रावली के अभाव में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की प्रमाणित नकल अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं हो पायी। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील के साथ अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करने की अनिवार्यता से मुक्ति प्रदान की जावे।

गुणावगुण के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में इस्माईल वल्द नागूखां एवं अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, इस्माईल का देहान्त होने पर उसके हिस्से की भूमि बाबत उसकी पत्नी जामा एवं माता मूमल के नाम म्युटेशन संख्या 1319 मौजा कानसिंह की सीड स्वीकृत स्वीकृत हुआ। अपीलाण्ट मुमल की जायन्दा पुत्री है। जिसे अथवा अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना ही प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर मूमल का नाम विलोपित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी राजस्व लोक अदालत कैम्प में पारित किये गये है। राजस्व लोक अदालत कैम्प में उभय पक्षकारान की सहमति से राजीनामा के जरिये ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है जबकि आलौच्य मामले में न तो पक्षकारान की कोई सहमति रही है और न ही कोई राजीनामा पेश हुआ है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को सही एवं समुचित विवेचन किये बिना ही पारित कर दिये गये है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपास्त किये जावे तथा प्रकरण अपीलाण्ट को जबाबदावा पेश करने का मौका दिया जाकर तदनुसार तनकियात कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पों. संख्या एक ने कथन किया कि अपीलाण्ट को आलौच्य अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील वादग्रस्त आराजी अपनी पुश्तैनी भूमि बताते हुए पेश की गयी है, जबकि वास्तव में वादिनी-रेस्पो. संख्या एक के पिता इस्माईल को वादग्रस्त आराजी के 1/8 हिस्से के खातेदारी वक्त सेटलमेण्ट खुदकाश्त के आधार पर प्राप्त हुई है। इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर उसे बिना किसी संदेह के मूमल का वारिस होना स्वीकार किया जा सके। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद के संबंध में अधिक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि मियाद प्रार्थनापत्र में विलम्ब का कोई संतोषजनक एवं विस्वसनीय कारण अंकित नहीं किया गया है और न ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत जानकारी होने के समय, स्थान एवं माध्यम उल्लेखित किया गया है। सीपीसी के आदेश एक नियम 10 के जिस प्रार्थनापत्र बाबत अदालत हाजा के आदेश का उल्लेख किया गया है, उस प्रार्थनापत्र में अथवा उसके साथ मियाद प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर

विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर भी आलौच्य अपील खारिज किये जाने योग्य है।

गुणावगुण के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपने इस कथन को दोहराया कि अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर उसे बिना किसी संदेह के मूमल का वारिस होना स्वीकार किया जा सके। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी बाबत उसके किसी भी प्रकार से हक-हकूक नहीं होने एवं अपीलाण्ट आलौच्य अपील प्रस्तुत करने का मुश्तहक नहीं होने से अपील अपीलाण्ट अधिकारविहीन, मियादबाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपील संख्या **Jodhpur 2021-129 (GCSM2021-35) Amar Khatun Vs Ramat etc** अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील स्वयं को मूमल की पुत्री जमाली का पुत्र होने के आधार पर प्रस्तुत की है। इस संबंध में अपीलाण्ट की ओर से भामाशाह के साथ आधार संख्या 473437597564 लिंक करने से संबंधित रसीद संख्या 1088-41वाईयू-10281 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी, जिसमें परिवार का मुखिया अमर खातू का दर्शाया गया है तथा आधार संख्या 473437597564 के आगे परिवार के मुखिया से संबंध के कॉलम में "स्वयं", नाम के कालम में "अमर खादू", व माता के नाम के कॉलम में "मूमल" अंकित किया हुआ है। जिससे अपीलाण्ट अमरखातू की माता का नाम मूमल होना माना जा सकता है।

किन्तु अपील संख्या **Jodhpur 2022-003 (GCSM2022-13) Meer Mohammd Vs Ramat etc.** के साथ ऐसा कोई ठोस प्रमाण अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसके आधार पर बिना किसी संदेह के निश्चयपूर्वक मूमल की पुत्री जमाली एवं जमाली का पुत्र अपीलाण्ट इस्माईल होना साबित हो सके। अतः अपीलाण्ट मीर मोहम्मद वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार नहीं पाये जाने से आलौच्य अपील प्रस्तुत करने का मुश्तहक नहीं होने के कारण अपील संख्या **Jodhpur 2022-003 (GCSM2022-13) Meer Mohammd Vs Ramat etc.** के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रस्तुत अपील संख्या **Jodhpur 2022-003 (GCSM2022-13) Meer Mohammd Vs Ramat etc.** इसी बिन्दु पर निस्तारित की जाती है।

जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में जिस मूमल के खिलाफ अनुतोष चाहा गया है, स्वयं उसे अथवा उसके वारिसान को बतौर प्रतिवादी मामले में पक्षकार नहीं बनाये जाने से दावा नॉन-ज्योइण्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज के दोष से ग्रसित हो जाता है। अतः अपीलाण्ट अमर खातू द्वारा प्रस्तुत अपील 2021(1) आर.जे.टी. 130 (राजस्थान उच्च न्यायालय) के परिप्रेक्ष्य में अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-रेस्पो. संख्या एक रमत द्वारा मात्र तहसीलदार बाप को एकमात्र प्रतिवादी संयोजित करते हुए प्रस्तुत वाद में आराजी खसरा संख्या 296 बाबत राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीनी की दादी मुमल पत्नी नूर खां का नाम विलोपित किया जाकर वादीनी रामत पत्नी मीर मोहम्मद पुत्री

इस्माईल खां का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। जाहिर है कि जिस मूमल के खिलाफ अनुतोष चाहा गया है, उसे ही बतौर प्रतिवादी मामले में पक्षकार नहीं बनाये जाने से दावा नॉन-ज्योइण्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज के दोष से ग्रसित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही वाद स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं होने के कारण समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

अतः अपीलाण्ट अमर खातू द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या **Jodhpur 2022-003 (GCSM2022-13) Meer Mohammd Vs Ramat etc.** आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिांक 15 मई 2018 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उपरोक्त आब्जर्वेशनानुसार मामले में वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार मूमल (यदि वर्तमान में जीवित हो तो) अथवा उसके सभी विधिक वारिसान को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया जाकर निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप जबाब एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर नियमानुसार तनकियात कायम की जावे और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद विधिवत न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर